भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 779

दिनांक 21.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ जल तक पहुंच

779. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री विद्युत बरन महतोः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 163 मिलियन भारतीयों को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है जो विश्व में किसी भी देश की सबसे ज्यादा संख्या है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का राष्ट्रीय जल कोष के अन्तर्गत देश में प्रत्येक परिवार को सुनिश्चित घरेलू जल आपूर्ति की सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण भारतीय आवास को पाइपकृत जल प्रदान करने के इस महत्वाकांक्षी मिशन हेतु समर्पित निधि भी स्थापित की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में विशेषकर जलसंकट से ग्रस्त 254 जिलों को उक्त संकट से उबारने के लिए जल संरक्षण और आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए जल जीवन मिशन हेतु मनरेगा योजना का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त जिलों में सभी जल स्रोतों और जलभरों में मानचित्रण को पूरा करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ कितनी निधि स्वीकृत की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) जैसा कि राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने सूचित किया है, भारत की एक बड़ी आबादी को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध है। 76.54 प्रतिशत ग्रामीण आबादी वाली 81.22 प्रतिशत ग्रामीण बसावटें 40 लिटर अथवा उससे अधिक प्रति व्यक्ति प्रति दिन के जल आपूर्ति प्रावधान द्वारा पूर्ण रूप से कवर हैं और 19.69 प्रतिशत ग्रामीण आबादी वाली 15.54 प्रतिशत ग्रामीण बसावटें आंशिक रूप से अर्थात् 40 एलपीसीडी से कम के प्रावधान द्वारा कवर हैं जबकि 3.77

प्रतिशत ग्रामीण आबादी वाली 3.24 प्रतिशत ग्रामीण बसावटों में जल स्रोतों में गुणवत्ता की समस्याएँ हैं।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) आरंभ किया है जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) की दर से कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है।

ग्रामीण नल जल आपूर्ति राज्य का विषय है और भारत सरकार वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है। राज्य सरकारें, ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाने, अनुमोदन करने और कार्यान्वित करने का काम करती है। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 3.60 लाख करोड़ रु. के परिव्यय से जल जीवन मिशन (जेजेएम) आरंभ किया है।

(घ) जल जीवन मिशन के अंतर्गत, मनरेगा स्कीम के तालमेल से जमीनी स्तर पर, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और अन्य जल संरक्षण उपायों के साथ-साथ पुन: उपयोग सहित ग्रे वाटर प्रबंधन जैसे स्रोत स्थायित्व उपाय किए जाने हैं। इसके अलावा, जल संरक्षण एवं जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए और जल संरक्षण की अपरिहार्य आवश्यकता के बारे में सभी पक्षकारों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए भारत सरकार ने देश के 256 जल संकट वाले जिलों में जल शक्ति अभियान (जेएसए) आरंभ किया है। पांच लक्षित मध्यस्थताएँ अर्थात् जल संरक्षण एवं भूजल संचयन, पारंपरिक एवं अन्य जल निकायों/तालाबों का पुनरूद्धार, बोरवेलों का पुन: उपयोग और पुनर्भरण, वॉटरशेड विकास और गहन वनीकरण इस अभियान के फोकस वाले क्षेत्र हैं। इस अभियान से भारी जागरूकता उत्पन्न हुई है और विभिन्न पक्षकारों अर्थात् सरकारी विभागों, एजेन्सियों,एनजीओ,पदधारियों,पंचायतों, व्यक्तियों आदि ने जल संरक्षण हेतु कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं।

(ङ.) राष्ट्रीय एक्वीफर मैपिंग एवं प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) जो भूजल प्रबंधन एवं विनियम की केन्द्रीय सेक्टर स्कीम का एक हिस्सा है, के एक हिस्से के रूप में एक्वीफर की मैपिंग की जा रही है। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में, वर्ष 2017-20 की अवधि में 6.6 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य है लेकिन उल्लिखित 254 जिलों में जल स्रोतों और एक्वीफर की मैपिंग को पूरा करने की कोई विशिष्ट अंतिम तारीख तय नहीं है। तथापि, चालू एनएक्यूयूआईएम कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, उक्त जिलों में से 175 को पहले ही कवर किया जा चुका है।

(च) इन जिलों में एक्वीफर की मैपिंग के लिए कोई विशिष्ट निधि स्वीकृत नहीं की गई है। तथापि, वर्ष 2017-20 के लिए भूजल प्रबंधन एवं विनियमन स्कीम के लिए 992 करोड़ रु. के परिव्यय में से 694 करोड़ रु. एक्वीफर मैपिंग और प्रबंधन घटक के लिए है।